(100)

## समक्ष अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल म.प्र.

निगरानी प्रकरण क. 0015/2016

निग-2503 PBR/16

1. श्रीमति लक्ष्मी इदनानी पत्नी श्री भोजराज इदनानी आयु वयस्क, निवासी–म.नं. 8–9, ललवानी प्रेस काम्पलेक्स मारवाडी रोड, भोपाल म.प्र.
2. मनीष आ0 भोजराज आयु वयस्क, निवासी–राधा अपार्टमेंट, लालघाटी भोपाल म.प्र. ––– निगरानीकर्ता

विरूद्व

मो0 आसिफ कुरैशी आ0 जिया कुरैशी निवासी–65, करीम मंजिल, जुमेराती जिला भोपाल म.प्र. ––– अनावेदक

## निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्तागण की ओर से माननीय अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 15/अपील/2015–16 पक्षकार मो0 आसिफ विरूद्व लक्ष्मी इदनानी में पारित आदेश दिनांक 08.06.2016 से व्यथित होकर निम्न वैधानिक तथ्यो एवं आधारो पर माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत है:–

28/7/16

निगरानी के तथ्य

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2503-पीबीआर/16 जिला भोपाल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 29-1-2019 | आवेदक की ओर से श्री एम.एल. रघुवंशी, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 27-3-2019 को सुनवाई हेतु आयुक्त के समक्ष उपस्थित हों । अनावेदक को सूचना दिया जाये ।<br><br>अध्यक्ष | |